

(7)


कार्यालय उपजिलाधिकारी, खेकडा (बागपत)

पत्रांक 202/96

दिनांक 16-11-96

प्रमाणित किया जाता है कि सन्त गोपीचन्द एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, अहैडा-बागपत की भूमि खसरा संख्या-196 मि०, रकबा 0.638 है०, खसरा सं०-202 रकबा 0.308 है०, खसरा सं०-203 रकबा 0.182 है०, खसरा सं०-204 रकबा 0.200 है० तथा खसरा सं०-207 रकबा 0.819 है०, कुल नम्बरान 5 रकबई 2.150 है० स्थित मौजा हरचन्दपुर, तहसील-खेकडा, परगना व जनपद-बागपत, जिसे वाद संख्या: 25/1996 दिनांक 29.10.1996 को धारा 143 उ०प्र०ज०वि० अधिनियम के आधार पर भू-राजस्व से मुक्त कर अकृषिक भूमि में परिवर्तित किया गया।

अतः उक्त भूमि पर विद्यालय बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


S. D. M
16-11-96 (Bagpat)